न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/525

मिसलनम्बर– 52 / 2023

बिरधी लाल पुत्र नंद लाल जी उम्र 62 वर्ष जाति माली निवासी बजरंग नगर डकनिया स्टेशन के पास कोटा थाना उघोगनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.सुरेशचंद सुमन पुत्र बिरधी लाल आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी बजरंग नगर, डकनिया स्टेशन के पास कोटा थाना उघोग नगर कोटा

2.बालमुकुन्द पुत्र बिरधीलाल आयु 38 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम झाड़ आमली तहसील कनवास कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

उपस्थिति:–

दिनांक 28/11/24

1.श्री जुगल किशोर शर्मा प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री कृपाशंकर गोड़ अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।
3.श्री धनराज बैरवा अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्थाई रूप सें ग्राम झाड आमली तहसील कनवास जिला कोटा राज० का स्थाई निवासी है, तथा वर्तमान मे कोटा में बजरंग नगर कोटा मे निवास कर रहा है । वहां पर प्रार्थी का एक पक्का निजी रिहायशी पैमाईशी 17 इंटू 50 फुट= 850 वर्गफुट का स्थित है, जिसमे तीन कमरें, एक लेटरिंग – एक बाथरूम व एक किचन बनी हुई हैं। उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, तथा उक्त मकान का निर्माण प्रार्थी ने स्वअर्जित सम्पत्ति से करवाया है। प्रार्थी मकान के निर्माण के समय से ही बजरंग नगर कोटा मे निवास कर रहा है किन्तु अप्रार्थी क्रम–1 ने उक्त मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तथा प्रार्थी को उक्त मकान से बैदखल कर दिया है। अप्रार्थी नम्बर 1 रिश्ते मे प्रार्थी का पुत्र है किन्तु वह अप्रार्थी के साथ आए दिन मारपीट करता है तथा मकान को अपने पक्ष मे लिखवाना चाहता है । जिसके लिये प्रार्थी कतई राजी नही है, क्योकि अप्रार्थी नम्बर 1 ने प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी श्रीमती शांती बाई के साथ दुर्यवहार किया तथा धक्के देकर घर के बाहर निकाल दिया जबकि प्रार्थी वृद्ध है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व प्रार्थी की पत्नी शांती बाई भी पिछले 7 वर्षो से बिमार चली आ रही है, अप्राथी क्रम–1 व 2 दोनो ही प्रार्थी के पुत्र है किन्तु दोनो ही पुत्र प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते है तथा मारपीट करते है, और भरण पोषण की कोई व्यवस्था नही करते है । न ही प्रार्थी की पत्नी शांती बाई की बिमारी मे किसी प्रकार का कोई सहयोग नही करते है। प्रार्थी का एक कच्चा मकान ग्राम झाड आमली तहसील कनवास जिला कोटा मे व 3 बीधा जमीन भी ग्राम झाड़ आमली मे स्थित है, जिस पर भी अप्रार्थी क्रम– 1 व 2 ने कब्जा कर लिया है और जबरदस्ती प्रार्थी को बैदखल कर दिया है इसलिये प्रार्थी के पास किसी प्रकार का खाने पीने का (भरण पोषण) का कोई स्त्रोत नही रहा है। प्रार्थी ने बजरंग नगर कोटा स्थित मकान का प्लॉट स्वयं ने एगी बाई पत्नी बग्गा जी से 38,000/– रूपये अक्षरे अडतीस हजार रूपयें मे खरीदा था तथा उसका निर्माण भी प्रार्थी ने स्वयं ने करवाया। किन्तु अब वृद्धावस्था होने के कारण प्रार्थी अब कोई भी काम करने के लिये असमर्थ हो गया है तब दोनो अप्रार्थीगणो ने प्रार्थी के आय के स्त्रोत को भी प्रार्थी से छीन लिया है। प्रार्थी अब असहाय है तथा अप्रार्थीगण से खर्चा मांगने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलोच व मारपीट करते है , व धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया है जिसके कारण प्रार्थी फुटपाती हो गया है और पत्नी का ईलाज भी सही ढंग से नही करवा पा रहा हैं। दिनांक 15.05.2023 को अप्रार्थी नम्बर 1 से प्रार्थी ने खर्चा मांगा या मकान खाली करने के लिये कहा तो अप्रार्थी नम्बर 1 ने प्रार्थी के साथ गाली गलोच व मारपीट की तथा घर से धक्के देकर निकाल दिया । इसी प्रकार अप्रार्थी नम्बर 2 ने भी उक्त मकान पर आकर प्रार्थी से गाली गलोच व मारपीट की। इस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ और इसी कारण से प्रार्थी अपना भरण पोषण करने मे अब असहाय हो गया हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम नम्बर 1 से मकान खाली करवाया जाकर प्रार्थी को सुपुर्द करवाया जावें या प्रार्थी को भरण पोषण की राशि दिलाई जावें। इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम नम्बर 2 से भी प्रार्थी को जमीन जायदाद वापिस दिलवाई जावें या प्रार्थी को भरण पोषण की राशि दिलाई जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा मनगढंत तथ्यों तथा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के न्यायालय को गुमराह करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे की प्रार्थी यह साबित कर सकें कि उक्त विवादित मकान प्रार्थी ने स्वयं खरीद किया हो तथा वर्तमान में भी वहां निवासरत रहा है। बल्कि प्रार्थी का स्वयं का कोई भी आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेज उक्त पते पर जारी नहीं हुआ है। प्रार्थी मात्र अप्रार्थी कम 1 को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी कम 1 गत 16 वर्ष से उक्त मकान में निवास कर रहा है तथा उक्त मकान प्रार्थी कम 1 के द्वारा ही स्वअर्जित आय से निर्मित करवाया गया है तथा वर्तमान में भी उक्त मकान में अप्रार्थी कम 1 निवासरत है तथा उपयोग, उपभोग कर रहा है। साथ ही उक्त मकान में प्रार्थी द्वारा स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन व नल कनेक्शन लगा हुआ है। जिसका बिल भी अप्रार्थी कम 1 के द्वारा ही अदा किया जाता है। अप्रार्थी कम 1 के द्वारा सदैव ही प्रार्थी जो कि रिश्ते मे अप्रार्थी कम 1 का पिता है, उसकी देखरेख, हारी, बीमारी व भरण पोषण की सम्पूर्ण नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता चला आ रहा है और अप्रार्थी कम 1 की माता शांति बाई की भी हारी बीमारी में सार सम्भाल अप्रार्थी कम 1 के द्वारा की जाती है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2023 को अप्राथी कम 1 द्वारा मारपीट करने व गाली गलौच करने

की घटना का जिक्र किया है। परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ किसी भी प्रकार की कोई थाने अथवा न्यायालय में की गयी कार्यवाही का कोई दस्तावेज प्रार्थना साथ प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही उक्त लड़ाई झगड़े के बाबत आस पडौस के गवाहों का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम झाड़ आमली तहसील कनवास जिला कोटा में जमीन व एक कच्चा मकान स्थित होना बताया है उक्त जमीन व मकान पर भी प्रार्थी ही वर्तमान में भी काबिज चला आ रहा है तथा उक्त काश्तकारी भूमि से होने वाले लाभ को भी प्रार्थी द्वारा ही उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थी कम 1 को उक्त जमीन व मकान से कोई लेना–देना नहीं रहा है। अप्रार्थी कम 1 बजरंग नगर डकनिया स्टेशन के पास, कोटा राजस्थान में सपरिवार निवास करता है। अप्रार्थी कम 1 के दो बच्चे है जो कि नाबालिग है तथा वर्तमान में उच्च शिक्षा मे अध्ययनरत है। अप्रार्थी कम 1 के स्वयं के पास अपना काई स्थायी रोजगार नहीं है तथा बमुश्किल अप्रार्थी कम 1 अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है। अतः अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 वाके बजरंग नगर डकनिया स्टेशन कोटा राजस्थान स्थित मकान में शांतिपूर्वक निवास करने में किसी प्रकार बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा बजरंग नगर, कोटा में भूखण्ड पैमाईश 17 इंटू 50=850 वर्गफीट खरीदना स्वीकार है, परन्तु उक्त भूखण्ड के आधे भाग पर प्रार्थी द्वारा एवं शेष आधे भाग पर अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा अपनी जमापूंजी से निर्माण करवाया गया था। अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व अप्रार्थी क्रम–2 के साथ लड़ाई झगडा व मारपीट कर उसे भगा दिया गया था, तब से अप्रार्थी–2 अपने पैतृक गांव झाड़ आमली, तहसील कनवास, जिला कोटा में अपने माता पिता के साथ निवास करता आ रहा है। अप्रार्थी क्रम– 2 प्रार्थी का पुत्र है तथा प्रारंभ से ही अपने माता पिता की देखरेख करता चला आ रहा है। वर्तमान में भी अप्रार्थी क्रम–2 के माता पिता अपने पैतृक गांव ग्राम झाड़ आमली, तहसील कनवास, जिला कोटा में अप्रार्थी क्रम–2 के साथ निवासरत है तथा अप्रार्थी क्रम–2 ही उनकी देखरेख, सार संभाल व ईलाज आदि की व्यवस्था करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम–2 को 3 बीघा जमीन काश्त हेतु दे रखी है, जिसमें खेती कर अप्रार्थी क्रम–2, प्रार्थी व उसकी पत्नी सहित अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बजरंग नगर कोटा में प्रार्थी द्वारा मकान खरीदना व बंटवारा किया जाना स्वीकार है। अप्रार्थी क्रम–2 प्रारंभ से अपने पैतृक गांव झाड़ आमली, तहसील कनवास, जिला कोटा में अपने माता पिता व परिवारजन के साथ निवास करता आ रहा है तथा अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा कभी भी प्रार्थी के साथ किसी प्रकार की कोई गाली गलौच व मारपीट नहीं की गई है, ना ही उन्हें धक्के देकर घर से निकाला है। अप्रार्थी क्रम–2 खेती बाड़ी के अतिरिक्त दैनिक मजदूरी का कार्य करता है, जो दिनांक 15.05.2023 को कोटा में उपस्थित ही नहीं था, जिसकी साक्ष्य ग्रामवासीयों से ली जा सकती है तथा अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा यदि उक्त प्रकार की घटना प्रार्थी के साथ कारित की गई है तो उसकी जानकारी अप्रार्थी क्रम–2 को नहीं रही है तथा अप्रार्थी क्रम–2 प्रारंभ से अपने माता पिता की सेवा सुश्रूषा कर अपने पुत्र के दायित्वों को निरन्तर प्रेमपूर्वक निवेहन करता आ रहा है, क्योंकि अप्रार्थी क्रम–2 सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाला व बुजुर्गों का आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थना प्रार्थी पूर्णरूप से अस्वीकार है, क्योंकि अप्रार्थी क्रम–2 को सदैव अपने पुत्र के दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये प्रार्थी अर्थात अपने पिता व माता की पूर्णरूप

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

से देखभाल, सार संभाल व सेवा सुश्रूषा कर उनके भरण पोषण, ईलाज आदि की पूर्ण व्यवस्था करता आ रहा है। अतः श्रीमान से जवाब प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अप्रार्थी क्रम–2 की हद तक सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करें अन्य न्यायोचित सहायता जो भी श्रीमान उचित समझें वह भी प्रदान करें।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 पक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं अप्रार्थी नं0 2 की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी ने बजरंग नगर कोटा स्थित मकान का प्लॉट स्वयं ने एगी बाई पत्नी बग्गा जी से 38,000/– रूपये अक्षरे अडतीस हजार रूपयें मे खरीदा था तथा उसका निर्माण भी प्रार्थी ने स्वयं ने करवाया। उपरोक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, तथा उक्त मकान का निर्माण प्रार्थी ने स्वअर्जित सम्पत्ति से करवाया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा उपरोक्त मकान से सम्बंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जिससे उक्त मकान पर प्रार्थी का स्वामित्व सिद्ध हो सके। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच करने का कथन कर अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करने का निवेदन किया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को निर्देश दिया जाता है कि अपने पिता को 2000/– रूपये मासिक प्रत्येक अर्थात कुल 4,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक .....28/11/24..... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा